कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में दायर एस.बी.सिविल याचिका संख्या 16105/2019 मुकुलिका शर्मा व अन्य बनाम राजस्थान सरकार प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम निर्णय दिनांक 17.01.2020 द्वारा पूर्व में जारी अन्तरिम स्थगनादेश दिनांकः 24.09.2019 को वैकेट कर दिये जाने के फलस्वरूप इस कार्यालय के आदेश क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/45002/प्रधाना./स्था./2019 दिनांकः 27.01.2020 द्वारा क्रम संख्या 01 पर स्थित श्रीमती मुकुलिका शर्मा, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पिथुसर, गोखरी जिला झुन्झुनूं को प्रशासनिक अत्यावश्यकता एवं छात्र हित में योग काल एवं यात्रा भत्ता अनुज्ञेय करते हुए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खनियानी, गडरा रोड जिला बाडमेर में प्रधानाचार्य के पद पर पदस्थापित किया गया था।

प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांकः 20.07.2020 द्वारा याचिकार्थी श्रीमती मुकुलिका शर्मा के पदस्थापन के सम्बन्ध में सहानुभूतिपूर्वक विचार किये जाने के प्रदत्त निर्देशों के क्रम में श्रीमती मुकुलिका शर्मा, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खनियानी, गडरा रोड जिला बाडमेर का अन्तरिम समायोजन माननीय न्यायालय के याचिका में पारित आगामी/अन्तिम निर्णय के अध्यधीन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अमरसर, बीदासर जिला चूरू में प्रधानाचार्य के पद पर किया जाता है।

(सौरभ स्वामी)
आई ए एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/एसबीसिया/16105/मुकुलिका व अन्य/2019/ दिनांकः 11/08/2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार,जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा जोधपुर/चूरू संभाग, जोधपुर/चूरू।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, बाडमेर/चूरू।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, बाडमेर/चूरू।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. श्रीमती मुकुलिका शर्मा, प्रधानाचार्य को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)